कार्यालयः—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी (म.प्र.)

//परिपत्र//

क्रमांक 36 /दो—6—4/18 सीधी, दिनांक 02 अप्रैल, 2024

इस न्यायिक जिला स्थापना पर पदस्थ समस्त न्यायिक अधिकारीगण एवं तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को सूचित किया जाता है, कि अवकाश नियम 1977 में विहित अवकाश का उपभोग अधिकार स्वरूप नहीं किया जा सकता है। साथ ही मूलभूत में विहित प्रावधान के आधार पर शासन द्वारा नियोजित शासकीय सेवक के अवकाश/सार्वजनिक अवकाश पर होने की स्थिति में अतिआवश्यक प्रकृति के कार्य होने की दशा में आपको स्वीकृत अवकाश/सार्वजनिक अवकाश अवधि में बुलाये जाने पर कर्तव्य स्थल पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होना है।

(संजीव पाण्डेय)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सीधी (म.प्र.)

क्रमांक 1251 /दो—6—4/18 सीधी, दिनांक 05 अप्रैल, 2024

प्रतिलिपिः—

01. समस्त न्यायिक अधिकारीगण, सीधी,
02. समस्त तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण, सीधी,
..........की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
03. सहायक लेखापाल एवं आवक—जावक/अवकाश लिपिक कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी, की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि समस्त प्रकार के अवकाश स्वीकृति आदेश में परिपत्र के निर्देश की टीप अंकित करें।

कृते—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सीधी (म.प्र.)